BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 जनवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 56 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू उर्फ मूंछ पुत्र नानक निवासी ग्राम प्रानगढ थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में सतेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम जौली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की हत्या करने तथा उसके दोस्त के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.10.2013 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 603/13 धारा- 302/34/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त से बरमदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-609/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक 21.12.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 29.01.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे- 06 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू उर्फ मूंछ को आजीवन कारावास व 56 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त सोनू उर्फ मूंछ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-603/13 धारा 302/34/307/504/506 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
1. मुअसं-609/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-875/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-1030/14 धारा 102,414,41 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-844/22 धारा 482 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर